न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–158 / 2013–14 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवथा अधिनियम

श्री भगत सिंह

बनाम

श्री विरेन्द्र सिंह चौहान एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री रविन्द्र सिंह।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा–मेहूँवाला माफी, परगना केन्द्रीय दून,
तहसील व जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा निगरानी संख्या–97 / 2012–13 विरेन्द्र सिंह चौहान बनाम प्रेम सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 23–09–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अवर न्यायालयों के अभिलेखों / पत्रावलियों का अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन था कि अपर आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन निगरानी में दिनांक 23–09–2013 में उत्तरदाता संखय–1 के अधिवक्ता द्वारा तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया परन्तु आदेश पंजिका में दिनांक 23–09–2013 यह आदेश पारित किया गया कि '' आज पत्रावली प्रस्तुत। निगरानीकर्ता हाजिर, विपक्षीगण पर समन तामील नहीं पुनः समन भेजे जायं। पत्रावली वास्ते सुनवाई 11–12–2013 को पेश हो। पक्षकार विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखें तथा विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द न करें।'' उक्त आदेश पक्षकारों को सुने बिना पारित किया गया है तथा उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से बिना प्रार्थना पत्र दिये ही यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये हैं। अतः निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 23–09–2013 निरस्त कर दिया जाय।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी का कथन था कि आदेश दिनांक 23–09–2013 अन्तरिम आदेश है, और अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है।

अवर निगरानी न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 23–09–2013 बिना किसी के प्रार्थना पत्र के पारित किया गया है। अवर न्यायालय में आदेश दिनांक 23–09–2013 रिकॉल करने हेतु अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 09–06–2014 प्रस्तुत किया गया है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया आदेश दिनांक 23–09–2013 अन्तरिम आदेश प्रतीत होता है और अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09–06–2014 का निस्तारण अभी नहीं हुआ है। निगरानी बलयुक्त न

होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09–06–2014 का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत निगरानी को गुणदोष के आधार पर निर्णित करें।

दिनांकः08 जनवरी, 2015

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।